न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 2022 / 367

विभागीय अपील द्वारा सुश्री प्रांजल कंवर, तहसीलदार निवाई, जिला टोंक विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, टोंक के आदेश क्रमांक एफ. 1 / (01)स्था. / वि.जॉच / 17सीसीए / 2021 / 87 दिनांक 10.01.2022 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी / अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– सुश्री प्रांजल कंवर, तहसीलदार निवाई, जिला टोंक

निर्णय

दिनांकः– 19.09.2022

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, टोंक के आदेश क्रमांक एफ.1 / (01)स्था. / वि.जॉच / 17 सीसीए / 2021 / 87 दिनांक 10.01. 2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

जिला कलक्टर टोंक ने अपीलार्थीया के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक एफ.1 / (06)स्था. / वि. जॉच / 17 सीसीए / 2021 / 5328 दिनांक 19.08.2021 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थीया पर निम्न आरोप लगाये गयेः–

1. प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत तहसील निवाई में 33 / 11 केवी दत्तवास सब स्टेशन निवाई की 5 किलोमीटर की परिधि में 8 हेक्टैयर भूमि जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड को आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में भूमि का चयन कर, चयनित भूमि के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु आप द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड के साथ मौका नही देखा गया एवं उपयुक्त स्थान का चयन किये बिना ही नक्शा ट्रेश मे गलत स्थान पर

भूमि को चिन्हित कर भिजवाये गलत प्रस्ताव के कारण प्रस्तावित भूमि के आवण्टन की कार्यवाही नही हो हुई।

2. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निरीक्षण करने पर चिन्हित भूमि उपयुक्त नहीं होने के कारण दिनांक 13.07.2021 को प्रस्तावित भूमि मे अन्य स्थान पर भूमि को चिन्हित किया गया। चिन्हित भूमि मे पहुचने का मार्ग/रास्ता/रोड के संबंध मे स्पष्ट रिपोर्ट नही की गई तथा प्रस्तावित भूमि पर पहुंच मार्ग खातेदारी भूमि मे चरागाह भूमि जाना बताया तथा रास्ता रिकॉर्डेड नही पाया गया। साथ ही भिजवाये गये प्रस्तावनुसार चिन्हित भूमि का चयन उपखण्ड अधिकारी निवाई के माध्यम से न कर स्वंय के स्तर से चयन कर भिजवाये गये।

3. दिनांक 14.07.2021 को पूर्व में प्रस्तावित दोनो भूमियों को अनुपयुक्त बताते हुए दिनांक 14.07.2021 को ही सांयकाल तक भिजवाने का आश्वासन दिया। परन्तु उसके पचश्चात सांयकाल 6.03 बजे तक आप द्वारा अति0 जिला कलक्टर टोंक को दूरभाष पर सूचित किया गया कि उक्त भूमि पर नाडी होने के कारण वह उपयुक्त नहीं है। पुनः 6.38 पीएम पर आप द्वारा अति0 जिला कलक्टर टोंक को सूचित किया कि उक्त भूमि देव भूमि है एवं उक्त भूमि आवण्टन संभव नही है। अतः तीसरी बार भी आपकी लापरवाही के कारण आवंटन की कार्यवाही नही हो सकी। आप द्वारा बार–बार गुमराह किया जाकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को बाधित किया गया।

अपीलार्थीया को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा निर्धारित अवधि मे दिनांक 14.10.2021 को जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। अपीलार्थीया ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहा लेकिन दण्डाधिकारी ने सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर टोंक के दण्डादेश दिनांक 10.01.2022 को इस अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी तहसीलदार को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थीया को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर जिला कलक्टर टोंक, से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत तहसील निवाई में 33/11 केवी दत्तवास सब स्टेशन निवाई की 5 किलोमीटर की परिधि में 8 हेक्टैयर भूमि जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड को आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में भूमि का चयन कर, चयनित भूमि के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु अपीलार्थीया द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड के साथ मौका नही देखा गया एवं उपयुक्त स्थान का चयन किये बिना ही नक्शा ट्रेश मे गलत स्थान पर भूमि को चिन्हित कर प्रस्ताव भिजवाये गलत प्रस्ताव के कारण प्रस्तावित भूमि के आवण्टन की कार्यवाही नही हो हुई। उक्त कृत्य के लिए अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच की कार्यवाही करते हुए परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया था।

अपीलार्थीया ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आवंटन से संबंधित मामले मे अपीलार्थी का सीधे रूप से कोई रोल नही था एवं ना ही इससे अपीलार्थी को किसी प्रकार का व्यक्तिगत हित था। अपीलार्थीया ने अपनी मेहनत से एवं अपने अधीनस्थ पटवारी तथा जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी द्वारा स्थान चयनित करने के पश्चात ही प्रस्ताव भेजे गये है। आरोप संख्या 01 के संबंध मे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत तहसील निवाई जिला टोंक में 33/11 केवी सब स्टेशन दत्तवास निवाई की 5 किलोमीटर की परिधि में 8 हेक्टैयर अथवा अधिक सरकारी भूमि जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 को सौर उर्जा पावर प्लांट की स्थापना हेतु आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में भूमि का चयन अधिशाषी अभियन्ता निवाई, सहायक अभियन्ता एवं विभाग के अन्य अधिकारी व पटवारी हल्का की उपस्थिति व अपीलार्थी ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियो की सहमति से स्थान चयन कर नक्शा ट्रेस मे दर्शाते हुए प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी निवाई के माध्यम से भिजवाया गया था। आरोप संख्या 02 के संबंध मे अधिशाषी अभियन्ता जेवीवीएनएल के द्वारा निरीक्षण करने पर चिन्हित भूमि उपयुक्त नहीं बताया गया तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी निवाई के निर्देश पर अन्य स्थान पर भूमि को चिन्हित किया गया। जिसमे प्रस्ताव में मौके पर रास्ते/पहुॅच मार्ग की स्थिति को स्पष्ट अंकित कर दिया गया था। तथा उपखण्ड अधिकारी निवाई के माध्यम से ही भिजवाया गया था। प्रकरण उच्च अधिकारियो के ध्यान में लाकर भिजवाया गया था। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नही की गई। आरोप संख्या 03 के संबंध मे

जेवीवीएनएल विभाग के अधिकारियो द्वारा दोनो भूमियां अनुपयुक्त बताये जाने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा जिला कलेक्टर टोंक से मिलकर एक अन्य उपयुक्त स्थान पर प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु आश्वस्त किया गया हैं। परन्तु उस स्थान का चयन कर प्रस्ताव बनाते समय ग्राम पंचायत तुर्किया के जनप्रतिनिधियों व सरपंच द्वारा अति.जिला कलेक्टर टोंक को स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के आधार पर उक्त स्थान पर देवभूमि व नाडी होना सूचित करवाया गया तथा प्रस्तावित जमीन को आंवटित नहीं करने हेतु निवेदन किया गया है। तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में आनाकानी की गई। अपीलार्थी द्वारा अति.जिला कलेक्टर टोंक को राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति बताते हुये यह स्पष्ट किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड भूमि पूर्णतया र्निविवाद है तथा पूर्णतया आंवटन के योग्य हैं। परन्तु चुंकि चारागाह भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा ही जारी किया जाता है तथा जिसमें तहसीलदार की कोई भूमिका नहीं होती है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में आनाकानी की जा रही थी। इसी वजह से तत्समय असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। उक्त कार्य राजकीय हितों से सम्बन्धित था तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम था। अतः अपीलार्थी द्वारा इसे अपना कर्तव्य समझते हुये उपखण्ड अधिकारी तथा विकास अधिकारी के साथ मिलकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत व सम्बन्धित ग्राम के प्रतिनिधियों तथा अन्य ग्रामिणों के साथ समझाईश की गई तथा समझाईश के आधार पर ही अविलम्ब अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाया गया। तथा अविलम्ब प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर टोंक को भिजवाया गया। तैयार प्रस्ताव जिला कलेक्टर टोंक द्वारा भी राज्य सरकार को शासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्रांक 5579–83 दिनांक 04.10.2021 द्वारा भिजवा दिया। अतः अपीलार्थीया ने जिला कलक्टर टोंक द्वारा जारी आदेश एफ.1/(01)स्था./वि. जॉच/17सीसीए/ 2021/87 दिनांक 10.01.2022 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी तहसीलदार को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपीलार्थीया द्वारा जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 को सौर उर्जा पावर प्लांट की स्थापना हेतु आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में भूमि का चयन अधिशाषी अभियन्ता निवाई, सहायक अभियन्ता एवं विभाग के अन्य अधिकारी व पटवारी हल्का की उपस्थिति व अपीलार्थीया ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियो की सहमति से

स्थान चयन कर नक्शा ट्रेस मे दर्शाते हुए प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी निवाई के माध्यम से भिजवाया गया था। जेवीवीएनएल विभाग के अधिकारियो द्वारा दोनो भूमियां अनुपयुक्त बताये जाने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा जिला कलेक्टर टोंक से मिलकर एक अन्य उपयुक्त स्थान पर प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी तथा विकास अधिकारी के साथ मिलकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत व सम्बन्धित ग्राम के प्रतिनिधियों तथा अन्य ग्रामिणों के साथ समझाईश अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवा कर प्रस्ताव तैयार करवाया जिसे जिला कलक्टर टोंक के माध्यम से राज्य सरकार को शासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्रांक 5579–83 दिनांक 04.10.2021 द्वारा भिजवा दिया। अपीलार्थीया को अनावश्यक आरोपों से आरोपित कर 17 सीसीए के तहत कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होती है। जिला कलक्टर टोंक ने अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार व नजर अन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 10.01.2022 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीया सुश्री प्रांजल कंवर, तहसीलदार निवाई, जिला टोंक विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, टोंक की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीया को भविष्य मे सावधानी से कार्य करने की मौखिक चेतावनी देते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 10.01.2022 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर